भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2717** जिसका उत्तर

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (20 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रचालन

2717 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी पाँच वर्षों के दौरान 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रचालन संबंधी सरकार की योजना की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विद्यमान प्रचालित 32 जलमार्गों के माध्यम से कुल कितने बल्क कार्गो का परिवहन किया गया;

(ग) क्या खनिज परिवहन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-5 पर मल्टी-मॉडल टर्मिनलों तथा नौवहन योग्य जलमार्गों के विकास का कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ हो गया है;

(घ) नदी में आवश्यक गहराई बनाए रखने के लिए निरंतर कैपिटल ड्रेजिंग हेतु विशेष रूप से किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर्देशीय जलयानों के लिए समर्पित पोत मरम्मत पारितंत्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): 2026-27 की बजट घोषणा के अनुसरण में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), एक स्वायत्त संगठन, ने अगले पांच वर्षों के दौरान परिचालन हेतु 20 राष्ट्रीय जलमार्गों (19 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और रा.ज.-5) को चिह्नित किया है। वर्ष-वार विकास योजना **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): वर्ष 2025-26 के दौरान मौजूदा 32 परिचालनात्मक राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कुल 218 मिलियन मीट्रिक टन माल का परिवहन किया गया।

(ग): 'रा.ज.-5 के विकास' के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में टर्मिनलों, बैराज/वार (weir), के निर्माण और विकास, नौचालन सहायता आदि को शामिल किया गया है और यह परियोजना पीपीपीएसी और पीआईबी मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है।

(घ): आईडब्ल्यूएआई द्वारा रा.ज. पर कोई कैपिटल ड्रेजिंग नहीं की जा रही है।

(ङ): सरकार ने पांडु (रा.ज.-2 पर असम), वाराणसी (रा.ज.-1 पर उत्तर प्रदेश) और पटना (रा.ज.-1 पर बिहार) में पोत-मरम्मत सुविधाओं का विकास शुरू किया गया है।

अनुबंध

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2717 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय राजामर्ग	राज्य
वित्त वर्ष 2026-27	
रा.ज.-49 (झेलम नदी), रा.ज.-26 (चिनाब नदी) और रा.ज.-84 (रावी नदी)	जम्मू और कशमीर
रा.ज.-51 (कबिनी नदी) और रा.ज.-90 (शरावती नदी)	कर्नाटक
रा.ज.-88 (साल नदी)	गोवा
वित्त वर्ष 2027-28	
रा.ज.-52 (काली नदी) और रा.ज.-41 (घाटप्रभा नदी)	कर्नाटक
रा.ज.-22 (बिरुपा-बड़ी-गेंगुटी-ब्राह्मणी प्रणाली) और रा.ज.-96 (सुबर्णरेखा नदी)	ओडिशा
वित्त वर्ष 2028-29	
रा.ज.-25 (चापोरा नदी)	गोवा
रा.ज.-13 (एवीएम नहर) और रा.ज.-59 (कोट्टायम-वैकोम नहर)	केरल
वित्त वर्ष 2029-30	
रा.ज.-89 (सावित्री नदी और बंकोट क्रीक), रा.ज.-28 (दाभोल क्रीक-वशिष्ठी नदी)	महाराष्ट्र
रा.ज.-20 (भवानी नदी)	तमिलनाडु
वित्त वर्ष 2030-31	
रा.ज.-98 (सतलुज नदी)	हिमाचाल प्रदेश और पंजाब
रा.ज.-76 (पंचगंगावली नदी)	कर्नाटक
रा.ज.-37 (गंडक नदी)	उत्तर प्रदेश
रा.ज.-5 (महानदी और ब्राह्मणी डेल्टा प्रणाली, मताई नदी और पूर्वी तट नहर)	ओडिशा
